1

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक / 1189 /डी–17/06/2005/14–3 रायपुर दिनांक 20/03/2006

प्रति,

संचालक कृषि
छ.ग., रायपुर

विषय :– लो–लिफ्ट पंप योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति ।
संदर्भ:– आपका एकल नस्ती क्रमांक/कृ.यां./ii-38/2004–05/1472 दिनांक 26.12.2005 ।

– – –

राज्य शासन, एतद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु लो–लिफ्ट पंप योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित मांग संख्या में राशि रूपये 29.00 लाख (उन्तीस लाख रूपये) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है :–

मांग संख्या–45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 2702–लघु सिंचाई, 01–भू–तल जल, 101–तालाब, 0101–राज्य आयोजना (सामान्य), 5902– कृषकों के लिये लो–लिफ्ट पंप पर अनुदान ।

2/ लो–लिफ्ट पंप योजना कियान्वयन के दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है ।

3/ यह स्वीकृति छ.ग., शासन वित्त विभाग के यू.ओ. जावक क्रमांक 246/C-N-3650/बजट–5/वित्त/चार 2006दिनांक 13/3/2006 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

20306

(प्रदीप कुमार दवे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृ. क्रमांक/1190 /डी–17/06/2005/14–3 रायपुर दिनांक 20/03/2006

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग ।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
3. संयुक्त संचालक (यां.) संचालनालय कृषि छ.ग., रायपुर
4. कोषालय अधिकारी, रायपुर ।
5. आदेश नस्ती ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

2

32

योजना का नाम :— **लो—लिफ्ट पम्प पर अनुदान की योजना।**

योजना के घटक : —

सभी वर्ग के लघु—सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर हस्त चलित लो लिफ्ट पंप उपलब्ध कराना।

प्रस्तावना :—

राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या लगभग 72% है। इन कृषकों मे से अधिकांश कृषको की खेती वर्षा पर आश्रित है। कुछ कृषकों के पास, जैसे कुंआ है अथवा जिनके खेत नदी नाले के पास हैं, किन्तु विद्युत लाईन नहीं होने के कारण पानी उठाने के आधुनिक साधन का अभाव है जिसके फलस्वरूप वे इन संसाधन का दोहन नहीं कर पाते हैं। कुछ कृषक कुंओं का उपयोग करते हैं वे टेड़े से सिंचाई करते है, जिसमें श्रम एवं समय अधिक लगता है। नदी नालों में उपलब्ध जल को 18 फुट तक की ऊँचाई तक खेतों पर पहुंचाने हेतु लो—लिफ्ट पंप विद्युत विहीन क्षेत्रों के लिये उपयोगी है। लो लिफ्ट पंप (हस्त चलित) द्वारा 4000 से 5000 लीटर प्रति घण्टा पानी 15 से 18 फुट की ऊंचाई तक प्राप्त किया जाता है। यह पंप मानव चलित है तथा आसानी से चलाया जा सकता है।

राज्य में उपलब्ध भू—जल संपदा का मात्र 15 से 20% तक ही दोहन हो रहा है। इस संसाधन के दोहन की राज्य में अच्छी संभावनायें है। यद्यपि वर्तमान में इस संसाधन के उपयोग करने के लिये राज्य शासन द्वारा "किसान समृद्धि योजना" एवं "नलकूप योजना" तथा शाकम्भरी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथापि लघु एवं सीमांत कृषकों की जोत के अनुसार छोटे कृषक जो बागवानी हेतु नदी नालों से पानी उठा सकते हैं तथा जहां विद्युत लाईन नहीं है, उन स्थानों पर इसकी अच्छी संभावनाऐं हैं।

उद्देश्य :—

1. राज्य के कृषकों का आर्थिक उन्नयन।
2. प्राकृतिक जल संसाधनों का समुचित दोहन।
3. उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धी करना।
4. फसल सघनता में वृद्धि।

योजना का कार्य क्षेत्र :-

1. योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी।

2 **हितग्राही चयन के मापदण्ड :-**

2.1 सभी वर्ग के लघु व सीमांत श्रेणी के कृषक 75 प्रतिशत अनुदान के पात्र हैं। योजना में व्यवसायिक फसल साग सब्जी उगाने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

2.1.1 कृषक की कृषि भूमि पर अथवा उससे लगा हुआ ऐसा जल स्त्रोत नदी, नाला हो जिसमें उद्यानिकी फसलों हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता हो।

2.1.2 कृषक जिसने पूर्व में अन्य किसी अनुदान योजना से लो लिफ्ट पंप प्राप्त न किया हो।

2.1.3 योजनान्तर्गत उन्हीं कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा जो क्रियाशील (स्वयं खेती करते हैं) हों।

2.2 **अन्य मापदंड :-**

2.2.1 पानी की उपलब्धता तथा खेत की स्थिति के आधार पर लो लिफ्ट पंप हेतु स्थल निरीक्षण वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

2.2.2 जल स्त्रोत से खेत तक पानी को ले जानें के लिये नाली निर्माण तथा पाईप खरीदने की व्यवस्था कृषक द्वारा ही की जावेगी। इस हेतु कृषक द्वारा बैंकों से ऋण लिया जा सकता है।

2.3 **हितग्राहियों के लिये बंधनकारी अन्य शर्तें :-**

2.3.1 लो-लिफ्ट पंप का प्रदाय शासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जावेगा।

2.3.2 कृषि (अभियांत्रिकी) विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कर्मशाला अथवा अधिकृत संस्था द्वारा लो लिफ्ट पंप का प्रदाय किया जावेगा।

2.3.3 आवेदन पत्र के साथ संलग्न आवेदक का फोटो ग्राम के सरपंच या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से अभिप्रमाणित होना चाहिए।

2.3.4 कृषक ने पूर्व में किसी भी योजनान्तर्गत लो–लिफ्ट पंप पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है, इसके संबंध में कृषक का घोषणा पत्र लिया जायेगा जो कि ग्राम पंचायत के पंच/सरपंच द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिये। इस घोषणा पत्र पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी का सत्यापन होना आवश्यक है।

2.3.5 कृषक को शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि इस योजना में प्रदत्त लो लिफ्ट पंप का विक्रय नहीं करेगा और न ही किसी अन्य के आधिपत्य में देगा, बल्कि स्वयं के कृषि उपयोग में ही लेगा।

2.4 भौतिक सत्यापन :–

प्रदाय किये गये लो लिफ्ट पंप की स्थापना की पुष्टि हेतु निम्नानुसार भौतिक सत्यापन किया जावेगा :–

(i)	कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	– 100 %
(ii)	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	– 80 %
(iii)	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	– 20 %
(iv)	जिला स्तर पर उपलब्ध सहायक संचालक कृषि	– 10 %
(v)	उप–संचालक कृषि	– 5%

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उप–संचालक कृषि को अधिकार होगा कि प्रदाय के बाद के वर्षों में कभी भी वे लो लिफ्ट पंप के विक्रय न होने अथवा पंप पर किसी और का आधिपत्य न होने के संबंध में भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।

2.5 योजना से अपेक्षित लाभ :–

2.5.1 योजना से फसल सघनता में वृद्धि होगी।

2.5.2 उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

2.5.3 लघु सीमांत कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वयं का रोजगार उपलब्ध रहेगा।

2.5.4 कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार होगा।

3. हितग्राही का पंजीयन एवं ऋण स्वीकृति :–

3.1 हितग्राही के पंजीयन एवं ऋण स्वीकृत बाबत् प्रकरण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा तैयार कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अपने अभिमत सहित अनुविभागीय कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करें तथा अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करें। इस प्रक्रिया में एक माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिये।

3.2 वरिष्ठालय से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार उप संचालक कृषि विकासखण्डों से प्राप्त पात्र हितग्राहियों का चयन कर चयन सूची तैयार करेंगें।

4. अनुदान एवं अनुदान की पात्रता:–

4.1 इस योजना में सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। कृषक द्वारा कृषक अंश की राशि प्रदायक संस्था को विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के मार्फत उपलब्ध कराई जावेगी। प्रदायक संस्था को कृषक अंश की राशि प्राप्त होने पर लो लिफ्ट पंप कृषक को उपलब्ध कराया जावेगा तथा अनुदान राशि प्रदायक संस्था को उप संचालक कृषि के द्वारा एक माह के भीतर उपलब्ध कराई जावेगी। लो–लिफ्ट पंप का अधिकतम इकाई मूल्य रू. 3500/– मानकर इसका अथवा वास्तविक कीमत का 75% में से जो भी कम हो, पर ही अनुदान देय होगा।

कृषकों को श्रेणीवार देय अनुदान निम्नानुसार होगा:–

क्र.	कृषक श्रेणी	अधिकतम इकाई मूल्य	राज्य शासन द्वारा अनुदान का प्रतिशत्	मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना द्वारा अनुदान का प्रतिशत्	कृषक अंश
1.	सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषक	3500/–	50%	25%	अनुदान राशि काटकर शेष राशि

4.2 योजनांतर्गत जिले के उप संचालक कृषि अनुदान राशि स्वीकृति करने हेतु सक्षम होगें।

लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय व्यवस्थाः–

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित बजट शीर्ष में रू. 30.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिस अनुसार वर्ष 2005–06 में भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार होगा :–

क्र.	वितरण	अनुमानित अधिकतम इकाई मूल्य	राज्य शासन द्वारा देय अधिकतम अनुदान का प्रतिशत	वर्ष 2005–06 का लक्ष्य	
				भौतिक	वित्तीय (लाख रू.) राज्य शासन का अंश
1	लघु सीमांत कृषकों को लो–लिफ्ट पंप प्रदाय	3500/–	50% अर्थात 1750/–	1700	30.00
	योग–			**1700**	**30.00**

वर्ष 2006–07 में योजनांतर्गत 6000 पंप वितरण किये जाना प्रस्तावित है जिसके लिए रू. 111.00 लाख की आवश्यकता होगी।

योजनांतर्गत 25000 लो लिफ्ट पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर चार वर्ष में बांटे जाना प्रस्तावित है।

अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

26/12/05
संयुक्त संचालक कृषि (यां.)
कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय
छ.ग. रायपुर